



## U.P. RAJYA VIDYUT UTPADAN NIGAM LTD.

12th Floor, Shakti Bhawan Extn.  
14-Ashok Marg, Lucknow - 226001

यू० पी० राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि०,  
12वाँ तल, शक्ति भवन विस्तार,  
14. अशोक मार्ग, लखनऊ. 226 001  
CIN-U31901UP1985SGC007135

संख्या-175/उनिलि/रिफॉर्म/अवर अभियन्ता(वि० एवं यौं) विनियमावली/2024

दिनांक: 08/08/2024

### कार्यालय ज्ञाप

निगम के "आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन" में निहित विधिक प्राविधानों के अन्तर्गत प्राप्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए यू०पी० राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड (विलय के उपरान्त) के निदेशक मण्डल की दिनांक 16.07.2024 को आयोजित चतुर्थ बैठक में मद संख्या-4.11 पर पारित प्रस्ताव के अनुपालन में निम्नवत् आदेशित किया जाता है -

उ०प्र० राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि० में यथाप्रभावी The Uttar Pradesh State Electricity Board Sub-ordinate Electrical And Mechanical Engineering Service Regulation-1972 के प्रस्तर-17 के यथासंशोधित का०ज्ञा०सं०: 30/उनिलि/रिफॉर्म/विनियम: 179-179.29/2019 दिनांक 07.02.2019 के निम्नलिखित तालिका के स्तम्भ-1 में अंकित प्राविधानों को उसके सम्मुख स्तम्भ-2 में अंकित प्राविधानों से प्रतिस्थापित किया जाता है:-

वर्तमान प्राविधान (1)	प्रतिस्थापित प्राविधान (2)																		
<p>17. Selection for appointment to the JE (Ordinary Grade) by promotion:-</p> <p>(1) For purpose of recruitment to the posts in the Ordinary Grade under regulation 5(b)(ii) a selection based on merit shall be made from the following:</p> <p>(a) "Members of operating staff (skilled) from the category of P-4, P-5 &amp; P-6 in U.P. Rajya Vidyut Parishad Parichalikiya Karamchhari varg sewa vinayamavali, 1995" (as amended) who have confirmed and completed 10 years of service according to the following criteria on selection basis:-</p> <p>"Total numbers of marks allotted will be 100 which will be distributed as under:-</p> <table border="1"><tr><td>(i)</td><td>High School (Science &amp; Maths)</td><td>30 marks</td></tr><tr><td>(ii)</td><td>ITI/Higher Technical Qualification(s) (Diploma/Degree in Engineering)</td><td>35 marks</td></tr><tr><td>(iii)</td><td>Experience (one mark for each year of service) <b>Note:</b> Marks shall be awarded for selection years of service period completed on the post of category P4, P5 and P6 in</td><td>35 marks</td></tr></table>	(i)	High School (Science & Maths)	30 marks	(ii)	ITI/Higher Technical Qualification(s) (Diploma/Degree in Engineering)	35 marks	(iii)	Experience (one mark for each year of service) <b>Note:</b> Marks shall be awarded for selection years of service period completed on the post of category P4, P5 and P6 in	35 marks	<p>17. Selection for appointment to the JE (Ordinary Grade) by promotion-</p> <p>(1) For purpose of recruitment to the posts in the Ordinary Grade under regulation 5(b)(ii) a selection based on merit shall be made from the following:</p> <p>(a) "Members of operating staff (skilled) from the category of P-4, P-5 &amp; P-6 in U.P. Rajya Vidyut Parishad Parichalikiya Karamchhari varg sewa vinayamavali, 1995" (as amended) who have confirmed and completed 10 years of service according to the following criteria on selection basis:-</p> <p>"Total numbers of marks allotted will be 100 which will be distributed as under:-</p> <table border="1"><tr><td>(i)</td><td>High School (Science &amp; Maths)</td><td>30 marks</td></tr><tr><td>(ii)</td><td>ITI/Higher Technical Qualification(s) (Diploma/Degree in Engineering)</td><td>35 marks</td></tr><tr><td>(iii)</td><td>Experience (one mark for each year of service) <b>Note:</b> Marks shall be awarded for selection years of service period completed on the post of category P4, P5 and P6 in</td><td>35 marks</td></tr></table>	(i)	High School (Science & Maths)	30 marks	(ii)	ITI/Higher Technical Qualification(s) (Diploma/Degree in Engineering)	35 marks	(iii)	Experience (one mark for each year of service) <b>Note:</b> Marks shall be awarded for selection years of service period completed on the post of category P4, P5 and P6 in	35 marks
(i)	High School (Science & Maths)	30 marks																	
(ii)	ITI/Higher Technical Qualification(s) (Diploma/Degree in Engineering)	35 marks																	
(iii)	Experience (one mark for each year of service) <b>Note:</b> Marks shall be awarded for selection years of service period completed on the post of category P4, P5 and P6 in	35 marks																	
(i)	High School (Science & Maths)	30 marks																	
(ii)	ITI/Higher Technical Qualification(s) (Diploma/Degree in Engineering)	35 marks																	
(iii)	Experience (one mark for each year of service) <b>Note:</b> Marks shall be awarded for selection years of service period completed on the post of category P4, P5 and P6 in	35 marks																	

(Formerly Known as U.P. Jal Vidyut Nigam Ltd. after merger of Jawaharpur Vidyut Utpadan Nigam Ltd. in to Uttar Pradesh Rajya Vidyut Utpadan Nigam Ltd. thereafter, Uttar Pradesh Rajya Vidyut Utpadan Nigam Ltd. into U.P. Jal Vidyut Nigam Ltd. as per Gazette Notification of State of Uttar Pradesh dated 03.11.2023 and THE UTTAR PRADESH ELECTRICITY REFORMS (AMALGAMATION AND MERGER OF STATE GENERATING COMPANIES) SCHEME, 2023)





## U.P. RAJYA VIDYUT UTPADAN NIGAM LTD.

12th Floor, Shakti Bhawan Extn.

14-Ashok Marg, Lucknow - 226001

यू० पी० राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि०,

12वाँ तल, शक्ति भवन विस्तार,

14. अशोक मार्ग, लखनऊ. 226 001

CIN-U31901UP1985SGC007135

वर्तमान प्राविधान (1)		प्रतिस्थापित प्राविधान (2)	
Thermal Power Station/Project without any interruption in service.		Thermal Power Station/Project without any interruption in service.	
		<p>टिप्पणी:-</p> <p>क) एक ही चयन वर्ष में सीधी भर्ती से नियुक्त कार्मिकों के समान अंक प्राप्त होने पर श्रेष्ठता सूची उनके टी०जी०-॥ के पद के लिए सेवा आयोग द्वारा आयोजित चयन परीक्षा में प्राप्त अंक के आधार पर होगी तथा वह कार्मिक श्रेष्ठता में मृतक आश्रित कोटे एवं श्रमिक से टी०जी०-॥ के पद पर नियुक्त कार्मिकों से श्रेष्ठता में ऊपर होंगे।</p> <p>ख) यदि उपरोक्त प्रक्रिया में सीधी भर्ती से नियुक्त कार्मिकों के अंक एक समान होते हैं तो निम्न फॉर्मूले के द्वारा नोरमलाइजेशन करते हुए श्रेष्ठता निर्धारित की जायेगी।</p> <p>The normalization shall be done by the following formula:-</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Actual Marks Obtained = <math>M + \frac{(X-m)S}{s}</math></li><li>• Where M= The overall mean of the obtained marks.</li><li>• X= Raw marks obtained in written Examination.</li><li>• m= Mean of the particular subject.</li><li>• S= Standard deviation of all the marks obtained.</li><li>• s= Standard deviation of the particular subject.</li></ul> <p>ग) यदि उक्त प्रक्रिया के उपरान्त भी कार्मिकों के अंक समान होते हैं तो उनकी पारस्परिक श्रेष्ठता ITI में प्राप्त अंकों/प्रतिशत के अनुसार की जायेगी अर्थात् जिस कार्मिक के प्राप्तांक/प्रतिशत अधिक होंगे वह श्रेष्ठता सूची में ऊपर होंगे। यदि उसके उपरान्त भी कार्मिकों के अंक समान होते हैं तो उनकी पारस्परिक श्रेष्ठता उनके कक्षा 10वीं में गणित में प्राप्त अंकों के अनुसार की जायेगी। यदि उक्त प्रक्रिया के उपरान्त भी कार्मिकों के</p>	

(Formerly Known as U.P. Jal Vidyut Nigam Ltd. after merger of Jawaharpur Vidyut Utpadan Nigam Ltd. in to Uttar Pradesh Rajya Vidyut Utpadan Nigam Ltd. thereafter, Uttar Pradesh Rajya Vidyut Utpadan Nigam Ltd. into U.P. Jal Vidyut Nigam Ltd. as per Gazette Notification of State of Uttar Pradesh dated 03.11.2023 and THE UTTAR PRADESH ELECTRICITY REFORMS (AMALGAMATION AND MERGER OF STATE GENERATING COMPANIES) SCHEME, 2023)





**U.P. RAJYA VIDYUT UTPADAN NIGAM LTD.**

12th Floor, Shakti Bhawan Extn.  
14-Ashok Marg, Lucknow - 226001

यू० पी० राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि०,  
12वाँ तल, शक्ति भवन विस्तार,  
14. अशोक मार्ग, लखनऊ. 226 001  
CIN-U31901UP1985SGC007135

वर्तमान प्राविधान (1)	प्रतिस्थापित प्राविधान (2)
<p>Provided there is no punishment/misc. advance awarded or disciplinary proceeding pending and there is no adverse reporting in the available Annual Confidential reports for the past 10 years immediately preceding the selection.</p> <p>The selection for these candidates shall be carried out through "Vidyut Utpadan Sewa Ayog", and through committee as defined for selection at (b) (v) below. The interse seniority of candidates selected shall be in accordance to the merit in the list prepared by the above mentioned procedure.</p>	<p>अंक समान होते हैं तो उनकी पारस्परिक श्रेष्ठता कक्षा 10वीं में विज्ञान में प्राप्त अंकों के अनुसार की जायेगी।</p> <p>घ) मृतक आश्रित कोटे एवं श्रमिक से टी०जी०-११ के पद पर नियुक्त कर्मिकों की श्रेष्ठता उनकी टी०जी०-११ के पद पर कार्यभार ग्रहण करने की तिथि के अनुसार की जायेगी। यदि उक्त प्रक्रिया के उपरान्त भी कर्मिकों के कार्यभार ग्रहण तिथि समान होती है तो उस स्थिति में उन कर्मिकों की पारस्परिक श्रेष्ठता उनके कक्षा 10वीं में गणित में प्राप्त अंकों के अनुसार की जायेगी अर्थात जिस कर्मिक के प्राप्तांक अधिक हों वह श्रेष्ठता सूची में ऊपर होंगे। यदि उक्त प्रक्रिया के उपरान्त भी कर्मिकों के अंक समान होते हैं तो उनकी पारस्परिक श्रेष्ठता कक्षा 10वीं में विज्ञान में प्राप्त अंकों के अनुसार की जायेगी।</p> <p style="text-align: center;">-No Change-</p> <p>The selection for these candidates shall be carried out through committee as defined for selection at (b) (v) below. The interse seniority of candidates selected shall be in accordance to the merit in the list prepared by the above mentioned procedure.</p>

II- का०ज्ञा०सं०: 30/उनिलि/रिफॉर्म/विनियम: 179-179.29/2019 दिनांक 07.02.2019 की तालिका के स्तम्भ-2 में 17(1)(b) पर अंकित प्राविधान यथावत् रहेंगे।

III- उक्त चयन प्रक्रिया अग्रेतर पदोन्नति एवं वर्तमान में लम्बित पदोन्नति चयन वर्ष 2022-23 हेतु भी लागू होगी।

IV- उ०प्र० राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि० के सभी परियोजना प्रमुखों द्वारा उपरोक्त संशोधनों को, उ०प्र० राज्य विद्युत उत्पादन सेवा आयोग द्वारा निर्गत विज्ञापन सं०: 08 - उपराविउसेआ/उनिलि/2022/पी-4/5/6/आपरेटिंगस्टाफ/चयन (प्रोन्नति) दिनांक: 10.01.2023 के संदर्भ में अपनी परियोजना पर कार्यरत समस्त अभ्यर्थियों को तदनुसार सूचित किया जाएगा तथा निगम की अधिकारिक वेबसाइट पर भी अपलोड किया जाएगा।



## U.P. RAJYA VIDYUT UTPADAN NIGAM LTD.

12th Floor, Shakti Bhawan Extn.  
14-Ashok Marg, Lucknow - 226001

यू पी 0 राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि०,

12वें तल, शक्ति भवन विस्तार,  
14. अशोक मार्ग, लखनऊ. 226 001  
CIN-U31901UP1985SGC007135


V- उपरोक्त के फलस्वरूप "The Uttar Pradesh State Electricity Board Sub-ordinate Electrical And Mechanical Engineering Service Regulation-1972 (as amended)" उक्त सीमा तक संशोधित मानी जायेगी तथा विनियमावली के शेष अन्य प्राविधान यथावत् प्रभावी रहेंगे।

निदेशक मण्डल की आज्ञा से

संख्या-175/उनिलि/रिफॉर्म/अवर अभियन्ता(वि० एवं यौ) विनियमावली/2024 तद्दिनांक।  
प्रतिलिपि: निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. अध्यक्ष, उ०प्र० राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि०, शक्ति भवन, लखनऊ के निजी सचिव।
2. प्रबन्ध निदेशक, उ०प्र० राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि०, शक्ति भवन, लखनऊ के निजी सचिव।
3. निदेशक (का०प्रबं० एवं प्रशा०/परियोजना एवं वाणिज्य/तकनीकी/वित्त), उ०प्र०रा०वि०उ०नि०लि०, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ, के निजी सचिव/स्टाफ ऑफिसर।
4. मुख्य महाप्रबन्धक/महाप्रबन्धक (अनपरा/ओबरा/पारीछा/पनकी/हरदुआगंज/जवाहरपुर ताप विद्युत गृह, सोनभद्र/सोनभद्र/झांसी/कानपुर/अलीगढ़/एटा)।
5. मुख्य अभियन्ता (स्तर-1/2), तापीय परिचालन/मानव संसाधन/वाणिज्य/ईंधन/आर०एण्ड०एम०/पर्यावरण एवं सुरक्षा/जानपद नव-परियोजना, उ०प्र०रा०वि०उ०नि०लि०, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ।
6. मुख्य अभियन्ता (स्तर-1/2), पीपीएमएम/न्यू कोल ब्लॉक, उ०प्र०रा०वि०उ०नि०लि०, टी० सी०-46/वी, विभूति खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ।
7. मुख्य अभियन्ता (स्तर-1/2), प्रगति इकाई, उ०प्र०रा०वि०उ०नि०लि०, तृतीय तल, विद्युत सेवा आयोग भवन, एस०एल०डी०सी० परिसर, विभूति खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ।
8. महाप्रबन्धक (चिकित्सा), उ०प्र०रा०वि०उ०नि०लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।
9. अधीक्षण अभियन्ता (मा०सं०-01/03/04/05/06/रिफॉर्म/टा०वा०से०/प्रशिक्षण), उ०नि०लि०, शक्ति भवन/शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ।
10. उपमहाप्रबन्धक (मा०सं०-02/औ०सं०/वित्त एवं लेखा), उ०नि०लि०, शक्ति भवन/शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ।
11. कम्पनी सचिव, उ०नि०लि०, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ।
12. मुख्य परियोजना प्रबन्धक (प्रगति), उ०प्र०रा०वि०उ०नि०लि०, तृतीय तल, विद्युत सेवा आयोग भवन, एस०एल०डी०सी० परिसर, विभूति खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ को निगम की वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु।
13. कट फाइल।

आज्ञा से,

  
(कोशलेंद्र कुमार)  
अधिसासी अभियन्ता (रिफॉर्म)